

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनांक: 03-07-2025

विषय सूची

- » फ़ोन टैपिंग और गोपनीयता का अधिकार
- » प्रधानमंत्री की घाना की राजकीय यात्रा
- » गिग कर्मचारी न्यूनतम वेतन और सामाजिक सुरक्षा
- » यूरोपीय संघ द्वारा 2040 तक ग्रीन हाउस गैस पर अंकुश लगाने का लक्ष्य घोषित
- » भारत में हिरासत में मृत्यु(Custodial Deaths)

संक्षिप्त समाचार

- » जीनोम अनुक्रमण
- » डेन्गीऑल (DengiAll)
- » सी-फ्लड(C-FLOOD)
- » वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक (FRI)
- » स्प्री 2025 (SPREE 2025)
- » NIPCCD का नाम परिवर्तित कर सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान

फ़ोन टैपिंग और गोपनीयता का अधिकार

संदर्भ

- मद्रास उच्च न्यायालय ने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा 5(2) के दायरे का विस्तार करने और केंद्र तथा राज्य सरकारों को अपराधों का पता लगाने के लिए गुप्त रूप से फोन टैपिंग करने की अनुमति देने से मना कर दिया।
 - ▲ उच्च न्यायालय ने माना कि ऐसे कानूनों का विस्तार करना न्यायपालिका का नहीं, बल्कि विधायिका का कार्य है।

फोन टैपिंग

- फोन टैपिंग का अर्थ है किसी तीसरे पक्ष द्वारा टेलीफोन वार्तालापों को इंटरसेप्ट करना, जो प्रायः सरकारी एजेंसियों द्वारा जानकारी एकत्र करने के लिए किया जाता है।
- यह निगरानी का एक रूप है और यदि इसका दुरुपयोग किया जाए तो यह व्यक्तिगत गोपनीयता और संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन कर सकता है।

भारत में कानूनी ढांचा

- **भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 – धारा 5(2):**
 - ▲ केंद्र या राज्य को दो आधारों पर संदेशों को इंटरसेप्ट करने की अनुमति देता है:
 - सार्वजनिक आपातकाल
 - सार्वजनिक सुरक्षा
 - ▲ इसके लिए लिखित रूप में कारण दर्ज करना और औपचारिक प्राधिकरण आवश्यक है।
 - ▲ एक समीक्षा समिति द्वारा इसकी समीक्षा अनिवार्य है (टेलीग्राफ नियमों और सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों के अनुसार)।
- **भारतीय टेलीग्राफ (प्रथम संशोधन) नियम, 1999:**
 - ▲ PUCI निर्णय के अनुपालन में भारत सरकार ने नियम बनाए ताकि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित सुरक्षा उपायों को वैधानिक समर्थन मिल सके।
 - ▲ ये नियम इंटरसेप्शन की प्रक्रिया, प्राधिकरण, अवधि और समीक्षा तंत्र को नियंत्रित करते हैं।

- **सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 – धारा 69:**

- ▲ 2009 में इसी तरह के नियम बनाए गए जो इलेक्ट्रॉनिक संचार जैसे ईमेल, चैट और ऑनलाइन डेटा की इंटरसेप्शन को नियंत्रित करते हैं।
- ▲ ये नियम PUCI निर्णय के सिद्धांतों को दोहराते हैं:
 - सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राधिकरण
 - निर्धारित समय सीमा
 - उद्देश्य की स्पष्टता
 - समीक्षा समिति द्वारा निगरानी

- **PUCI बनाम भारत संघ (1996) में सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देश:**

- ▲ यह प्रथम प्रमुख निर्णय था जिसने फोन टैपिंग को गोपनीयता के अधिकार से जोड़ा।
- ▲ सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित प्रक्रिया संबंधी सुरक्षा उपाय निर्धारित किए:
 - **अनुमोदन:** केवल गृह सचिव या संबंधित राज्य सरकार के गृह सचिव द्वारा।
 - **आदेश की वैधता की समय सीमा:** आदेश दो महीने के पश्चात अमान्य हो जाएगा, जब तक कि उसे नवीनीकृत न किया जाए।
 - **अधिकतम अवधि:** कोई भी आदेश छह महीने से अधिक समय तक प्रभावी नहीं रह सकता।
 - **इंटरसेप्टेड सामग्री का विनाश:** जैसे ही सामग्री की आवश्यकता समाप्त हो, उसे नष्ट करना अनिवार्य है।
 - **आपात स्थिति में अधिकार का प्रत्यायोजन:** आपात स्थिति में यह अधिकार गृह विभाग के संयुक्त सचिव या उससे ऊपर के अधिकारी को सौंपा जा सकता है।
 - **समीक्षा समिति का गठन और भूमिका:**
- केंद्र और राज्य स्तर पर समीक्षा समिति का गठन अनिवार्य।
- समिति को सभी इंटरसेप्शन आदेशों की दो माह के अंदर समीक्षा करनी होती है।

- यदि समिति पाती है कि आदेश धारा 5(2) के अनुसार नहीं था, तो वह उसे अमान्य घोषित कर सकती है और संपूर्ण इंटरसेप्टेड सामग्री को नष्ट करने का निर्देश दे सकती है।

क्या आप जानते हैं?

- **के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ (2017):**
 - ▲ गोपनीयता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया गया।
 - ▲ संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में गोपनीयता को शामिल किया गया।
 - ▲ किसी भी उल्लंघन को तीन-स्तरीय परीक्षण पास करना आवश्यक है:
 - कानूनी वैधता (कानून द्वारा स्वीकृत)
 - आवश्यकता (वैध उद्देश्य के लिए)
 - अनुपातिकता (कम से कम प्रतिबंधात्मक साधन)

फोन टैपिंग से संबंधित चिंताएँ

- **मौलिक अधिकारों का उल्लंघन:**
 - ▲ फोन टैपिंग सीधे अनुच्छेद 21 के अंतर्गत गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन करती है (पुट्टस्वामी निर्णय)।
- **कानूनी आधार अस्पष्ट और व्यापक:**
 - ▲ “सार्वजनिक आपातकाल” और “सार्वजनिक सुरक्षा” जैसे शब्द स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं हैं, जिससे इनका दुरुपयोग संभव है।
- **प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों की कमी:**
 - ▲ PUCL दिशानिर्देश हैं, लेकिन उनका कार्यान्वयन असंगत है।
 - ▲ कई बार आदेश बिना किसी आपात स्थिति या सार्वजनिक हित के जारी किए जाते हैं।
- **डेटा संरक्षण कानून का अभाव:**
 - ▲ भारत में एक व्यापक डेटा संरक्षण ढांचा नहीं है, हालांकि डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 प्रस्तुत किया गया है।

- ▲ निगरानी के लिए विशिष्ट सुरक्षा उपायों के अभाव में नागरिकों का डेटा और संचार असुरक्षित रहता है।
- **प्रौद्योगिकीय चुनौतियाँ:**
 - ▲ तकनीकी प्रगति से बड़े पैमाने पर निगरानी आसान हो गई है।
 - ▲ इंटरसेप्शन बिना किसी निशान या ऑडिट ट्रेल के की जा सकती है।

उच्च न्यायालय के निर्णय का महत्व

- **कानून के शासन को सुदृढ़ करता है:**
 - ▲ राज्य की निगरानी पर वैधानिक सीमाओं को बनाए रखता है।
- **गोपनीयता न्यायशास्त्र को सुदृढ़ करता है:**
 - ▲ केवल जांच की सुविधा के लिए गोपनीयता का उल्लंघन नहीं किया जा सकता।
- **कार्यपालिका की शक्ति को सीमित करता है:**
 - ▲ अपराध की जांच के नाम पर फोन टैपिंग प्रावधानों के दुरुपयोग को रोकता है।
- **उदाहरण स्थापित करता है:**
 - ▲ भविष्य में यदि प्रक्रिया या धारा 5(2) की शर्तों का उल्लंघन होता है, तो इंटरसेप्शन आदेशों को चुनौती दी जा सकती है।

निष्कर्ष

- PUCL बनाम भारत संघ मामला एक ऐतिहासिक निर्णय है जिसने टेलीफोन गोपनीयता को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी।
- इसने फोन टैपिंग पर सख्त प्रक्रिया संबंधी सुरक्षा उपाय लागू किए ताकि दुरुपयोग और मनमानी निगरानी को रोका जा सके।
- यह निर्णय भारत में गोपनीयता न्यायशास्त्र की आधारशिला बना हुआ है और इसने पारदर्शिता, जवाबदेही एवं सरकार की सीमित दखलअंदाजी सुनिश्चित करने वाले वैधानिक नियमों के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया।

Source: TH

प्रधानमंत्री की घाना की राजकीय यात्रा

संदर्भ

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो पांच देशों की यात्रा पर हैं, दो दिवसीय राजकीय दौरे पर घाना पहुंचे।

मुख्य विशेषताएं

- यह विगत तीन दशकों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की घाना की प्रथम यात्रा है।
- वार्ता के पश्चात् चार समझौता ज्ञापनों (MoUs) पर हस्ताक्षर किए गए, जिनमें सांस्कृतिक आदान-प्रदान और पारंपरिक संगीत के क्षेत्र शामिल हैं।
- प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की कि नेताओं ने भारत-घाना साझेदारी को एक व्यापक साझेदारी (Comprehensive Partnership) का रूप देने का निर्णय लिया है।
- प्रधानमंत्री को घाना के सर्वोच्च राज्य सम्मान 'द कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना' से सम्मानित किया गया, जो उनके विशिष्ट नेतृत्व और वैश्विक प्रभाव को मान्यता देता है।

भारत-घाना संबंधों का संक्षिप्त विवरण

ऐतिहासिक संदर्भ:

- ▲ भारत और घाना के बीच उपनिवेशवाद-विरोधी एकजुटता और वैश्विक दक्षिण के साझा दृष्टिकोण पर आधारित ऐतिहासिक संबंध हैं।
- ▲ भारत ने 1953 में अक्रा में अपना प्रतिनिधि कार्यालय स्थापित किया, जो घाना की 1957 में स्वतंत्रता से चार वर्ष पूर्व था।
- ▲ उसी वर्ष औपचारिक राजनयिक संबंध स्थापित हुए, जिससे घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण साझेदारी की नींव पड़ी।
- ▲ दोनों देश गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM) के संस्थापक सदस्य हैं।

संस्थागत तंत्र:

- ▲ संयुक्त आयोग की स्थापना 1995 में हुई और 2016 में इसे सुदृढ़ किया गया।
- ▲ विदेश कार्यालय परामर्श के लिए एक प्रोटोकॉल 2002 में हस्ताक्षरित हुआ।

- ▲ अब तक तीन दौर की परामर्श बैठकें हो चुकी हैं, नवीनतम 2022 में।
- ▲ संयुक्त व्यापार समिति, जो 1981 से कार्यरत है, ने 2024 में अपनी चौथी बैठक की।

व्यापार संबंध:

- ▲ भारत घाना के शीर्ष व्यापारिक भागीदारों में से एक है और घाना के निर्यात का सबसे बड़ा गंतव्य है।
- ▲ 2023-24 में भारत-घाना द्विपक्षीय व्यापार लगभग 3 अरब अमेरिकी डॉलर रहा, जिसमें घाना को सोने के निर्यात के कारण व्यापार अधिशेष प्राप्त हुआ।
- ▲ भारत द्वारा आयातित सोना, घाना से कुल आयात का 70% से अधिक है।
- ▲ घाना भारत के फार्मास्युटिकल निर्यात का एक प्रमुख गंतव्य है, जो देश की स्वास्थ्य प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण है।

निवेश:

- ▲ भारत घाना में शीर्ष निवेशकों में से एक है, जिसने कृषि-प्रसंस्करण, खनन, विनिर्माण, निर्माण और आईसीटी जैसे क्षेत्रों में 1.2 अरब डॉलर से अधिक का निवेश किया है।
- ▲ 2024 में भारत 12 परियोजनाओं में निवेश के मामले में चीन के बाद दूसरे स्थान पर और एफडीआई मूल्य के अनुसार आठवें स्थान पर रहा।

विकास साझेदारी:

- ▲ भारत ने बुनियादी ढांचे और क्षमता निर्माण परियोजनाओं के लिए लगभग 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर की रियायती ऋण और अनुदान सहायता प्रदान की है।
- ▲ प्रमुख परियोजनाओं में शामिल हैं:
 - भारत-घाना कोफी अन्नान आईसीटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (2003)
 - ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजना
 - जुबली हाउस राष्ट्रपति परिसर का पुनर्विकास (2017)
 - कोमेंडा शुगर प्लांट और एलमीना फिश प्रोसेसिंग प्लांट (2016)

- टेमा-मपाकादन स्टैंडर्ड गेज रेलवे लाइन का निर्माण (2024)
- **क्षमता निर्माण और मानव संसाधन विकास:**
 - ▲ ई-विद्या भारती और ई-आरोग्य भारती डिजिटल नेटवर्क परियोजना के तहत 1,600 से अधिक छात्रवृत्तियाँ प्रदान की गई हैं।
 - ▲ घाना को भारत की पैन-अफ्रीकी ई-नेटवर्क पहल से लाभ मिला है, जिससे भारतीय संस्थानों के माध्यम से टेलीमेडिसिन और टेली-शिक्षा सेवाएं मिलती हैं।
- **क्षेत्रीय सहयोग:**
 - ▲ एलपीजी वितरण, परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग और मानकीकरण जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौते किए गए हैं।
 - ▲ भारत-घाना मानक प्राधिकरणों के बीच सहयोग स्थापित किया गया है।
 - ▲ हवाई सेवा समझौता 1978 में हस्ताक्षरित हुआ और बाद में अद्यतन किया गया।
 - ▲ सांस्कृतिक आदान-प्रदान 1981 में हस्ताक्षरित सांस्कृतिक समझौते और समय-समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से जीवंत बना हुआ है।
- **मानवीय सहायता:**
 - ▲ भारत ने COVID-19 महामारी के दौरान घाना को 50,000 वैक्सीन खुराक अनुदान में और 1.6 मिलियन से अधिक खुराक COVAX सुविधा के माध्यम से प्रदान की।
- **भारतीय समुदाय:**
 - ▲ घाना में 15,000 से अधिक की संख्या वाला एक बड़ा भारतीय समुदाय है, जिनमें से कुछ 70 वर्षों से अधिक समय से वहां रह रहे हैं।

भारत के लिए घाना का महत्व

- **पश्चिम अफ्रीका का प्रवेश द्वार:**
 - ▲ घाना को पश्चिम अफ्रीका का राजनीतिक और आर्थिक प्रवेश द्वार माना जाता है।
 - ▲ इसकी लोकतांत्रिक स्थिरता भारत की अफ्रीका रणनीति के लिए इसे एक आदर्श भागीदार बनाती है।

- ▲ इसकी भौगोलिक स्थिति और क्षेत्रीय प्रभाव भारत को ECOWAS (पश्चिम अफ्रीकी राज्यों का आर्थिक समुदाय) के साथ जुड़ाव को गहरा करने में सहायता करता है।



- **आर्थिक सहयोग:**
 - ▲ भारत का घाना के साथ जुड़ाव अफ्रीका में उसकी आर्थिक कूटनीति को समर्थन देता है, जिससे सोना, बॉक्साइट और कोको जैसे कच्चे माल तक पहुंच सुनिश्चित होती है।
- **रणनीतिक और सुरक्षा सहयोग:**
 - ▲ घाना गिनी की खाड़ी पर स्थित है, जो भारत की समुद्री सुरक्षा, ऊर्जा शिपिंग मार्गों और समुद्री डकैती विरोधी अभियानों के लिए महत्वपूर्ण है।
 - ▲ रक्षा सहयोग में साझेदारी भारत को अफ्रीका में अपने रक्षा निर्यात और सुरक्षा संबंधों का विस्तार करने का अवसर देती है।
- **विकास साझेदारी और दक्षिण-दक्षिण सहयोग:**
 - ▲ भारत दक्षिण-दक्षिण सहयोग नीति के तहत ऋण, क्षमता निर्माण और अनुदान के माध्यम से घाना का समर्थन करता है।

- ▲ ग्रामीण विद्युतीकरण, जल आपूर्ति प्रणाली और कौशल विकास केंद्र जैसी परियोजनाएं भारत की जिम्मेदार विकास भागीदार की छवि को सुदृढ़ करती हैं।
- **वैक्सीन विकास:**
 - ▲ यात्रा का एक प्रमुख उद्देश्य घाना में वैक्सीन हब की स्थापना है, जो पश्चिम अफ्रीका के लिए सहयोग का एक नया आयाम है।
 - ▲ यह भारत की फार्मास्युटिकल क्षमताओं और सस्ती स्वास्थ्य सेवा समाधान के वैश्विक केंद्र बनने की दृष्टि के अनुरूप है।
- **बहुपक्षीय और राजनयिक समन्वय:**
 - ▲ घाना संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की दावेदारी का समर्थन करता है।
 - ▲ दोनों देश कॉमनवेल्थ, NAM, G77 और भारत-अफ्रीका फोरम समिट जैसे मंचों पर सहयोग करते हैं।
 - ▲ घाना के लोकतांत्रिक मूल्य और साझा विकास प्राथमिकताएं अफ्रीका में भारत की विदेश नीति के लक्ष्यों के अनुरूप हैं।
- **प्रवासी और सांस्कृतिक संबंध:**
 - ▲ भारतीय मूल का समुदाय घाना की अर्थव्यवस्था में विशेष रूप से वाणिज्य और उद्योग में योगदान देता है।
 - ▲ सांस्कृतिक आदान-प्रदान, योग, भारतीय सिनेमा और शिक्षा जैसे तत्व लोगों के बीच सुदृढ़ संबंध बनाते हैं और भारत की एक समावेशी वैश्विक शक्ति की छवि को सुदृढ़ करते हैं।

आगे की राह

- घाना वैश्विक दक्षिण में भारत का एक मूल्यवान भागीदार है और अफ्रीकी संघ तथा पश्चिम अफ्रीकी राज्यों के आर्थिक समुदाय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- घाना के साथ संबंधों को मजबूत करना भारत की वैश्विक नेतृत्व, आर्थिक विस्तार और अफ्रीका में क्षेत्रीय प्रभाव की आकांक्षाओं में योगदान देता है।

- यह यात्रा भारत के ऐतिहासिक संबंधों को आगे बढ़ाएगी तथा निवेश, ऊर्जा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, क्षमता निर्माण और विकास साझेदारी जैसे क्षेत्रों में नए अवसर खोलेगी।

Source: IE

गिग कर्मचारी- न्यूनतम वेतन और सामाजिक सुरक्षा

समाचार में

- तेलंगाना गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन (TGPWU) ने राज्य सरकार से गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए न्यूनतम वेतन, कानूनी मान्यता और व्यापक कल्याण योजनाएं सुनिश्चित करने की मांग की है।

गिग वर्कर्स कौन हैं?

- विश्व आर्थिक मंच गिग अर्थव्यवस्था को अल्पकालिक, कार्य-आधारित रोजगार के रूप में परिभाषित करता है, जिसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से श्रमिकों और ग्राहकों को जोड़कर सुगम बनाया जाता है।
- भारत में, गिग वर्कर्स को “स्व-नियोजित” (self-employed) माना जाता है, और इसमें महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है।
- गिग कार्यों में वेब-आधारित कार्य जैसे कंटेंट राइटिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, तथा स्थान-आधारित सेवाएं जैसे ओला और जोमैटो जैसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से ड्राइविंग और फूड डिलीवरी शामिल हैं।
- गिग वर्कर्स को प्रति कार्य भुगतान किया जाता है और वे पारंपरिक 9 से 5 की नौकरी के बाहर लचीले ढंग से कार्य करते हैं।

संबंधित कदम

- 2025 के केंद्रीय बजट में गिग एवं प्लेटफॉर्म वर्कर्स को औपचारिक रूप से मान्यता देने और उनके लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का विस्तार करने के उपाय शामिल किए गए।
- सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (Code on Social Security, 2020) ने गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को उन लोगों के रूप में कानूनी रूप से परिभाषित किया है जो पारंपरिक नियोजित-कर्मचारी संबंधों से बाहर कार्यरत हैं।

- हाल की पहलों जैसे ई-श्रम पंजीकरण, डिजिटल पहचान पत्र, और आयुष्मान भारत के अंतर्गत स्वास्थ्य कवरेज से सरकार द्वारा गिग वर्कर्स की मान्यता स्पष्ट होती है।

चुनौतियाँ

- संशोधित आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) 2025 ने गिग और प्लेटफॉर्म कार्य की विविध प्रकृति को सटीक रूप से दर्शाने के लिए कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किया है।
- जबकि अनुमान है कि 2029-30 तक गिग कार्यबल 2.35 करोड़ तक पहुंच जाएगा, भारत का मुख्य श्रम सर्वेक्षण अभी भी गिग वर्कर्स को 'स्व-नियोजित' या 'अनौपचारिक श्रमिक' जैसी व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत करता है, जिससे वे सांख्यिकीय रूप से अदृश्य बने रहते हैं।
- इस स्पष्ट वर्गीकरण की कमी प्रभावी नीति निर्माण और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक समान पहुंच को बाधित करती है, जैसे कि सामाजिक सुरक्षा कोष और राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड, जो समावेशी कल्याण योजना के लिए सटीक आंकड़ों पर निर्भर करते हैं।

निष्कर्ष और आगे की राह

- 2025 के PLFS संशोधन ने नमूना आकार और ग्रामीण कवरेज में सुधार किया है; फिर भी यह गिग कार्य को स्पष्ट रूप से परिभाषित या दर्ज नहीं करता।
- समावेशी नीति निर्माण सुनिश्चित करने के लिए, भारत PLFS वर्गीकरण को संशोधित कर सकता है या गिग वर्कर्स के लिए विशिष्ट मॉड्यूल जोड़ सकता है।
- सरकारों और प्लेटफॉर्म को मिलकर स्पष्ट कानूनी सुरक्षा परिभाषित करनी चाहिए और स्वास्थ्य और पेंशन योजनाओं जैसी अनुकूलित सामाजिक सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए।
 - ▲ प्लेटफॉर्म को पारदर्शिता, उचित वेतन और अच्छे कार्य वातावरण को सुनिश्चित करना चाहिए।

यूरोपीय संघ द्वारा 2040 तक ग्रीन हाउस गैस पर अंकुश लगाने का लक्ष्य

संदर्भ

- यूरोपीय आयोग ने 2040 तक 1990 के स्तर की तुलना में शुद्ध ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन में 90% की कटौती का कानूनी रूप से बाध्यकारी लक्ष्य प्रस्तावित किया है।

GHG उत्सर्जन को कम करने के लिए यूरोपीय संघ की हालिया योजनाएँ

- 2040 का यह लक्ष्य 2050 तक जलवायु-तटस्थता प्राप्त करने की दिशा में एक मार्ग सुनिश्चित करता है, जिससे नागरिकों, औद्योगिक निवेश और वैश्विक कूटनीति को नीति स्पष्टता मिलती है।
- यूरोप के बाहर से कार्बन ऑफसेट्स:
 - ▲ 2036 से, देश अपनी उत्सर्जन कटौती का 3% तक हिस्सा यूरोपीय संघ के बाहर जलवायु परियोजनाओं से उत्पन्न कार्बन क्रेडिट के माध्यम से पूरा कर सकते हैं।
- प्रौद्योगिकीय तटस्थता:
 - यूरोपीय संघ सभी प्रकार की स्वच्छ या निम्न-कार्बन प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए खुला है, जैसे:
 - ▲ नवीकरणीय ऊर्जा
 - ▲ परमाणु ऊर्जा
 - ▲ कार्बन कैप्चर और स्टोरेज (CCS)
 - ▲ कार्बन हटाने की तकनीकें
- पूरक नीतियाँ:
 - ▲ "Fit for 55" पैकेज का लक्ष्य 2030 तक 55% उत्सर्जन कटौती है।
 - ▲ इसमें यूरोपीय संघ उत्सर्जन व्यापार प्रणाली (EU ETS) का विस्तार और कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (CBAM) की शुरुआत शामिल है।
 - ▲ प्रतिस्पर्धात्मकता की रक्षा के लिए भारी उद्योगों को मुफ्त परमिट के माध्यम से छूट दी जा सकती है।

भारत की प्रतिबद्धताएँ: उत्सर्जन में कटौती

- भारत ने पर्यावरण के लिए जीवनशैली (LiFE) मिशन शुरू किया है और पेरिस समझौते के तहत अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs) को अद्यतन किया है।
- भारत के अद्यतन NDC 2022 के अंतर्गत वादे:
 - ▲ 2005 के स्तर की तुलना में 2030 तक उत्सर्जन तीव्रता (प्रति GDP CO₂) में 45% की कटौती।
 - ▲ 2030 तक स्थापित विद्युत क्षमता का 50% गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से।
 - ▲ 2.5 से 3 अरब टन CO₂ समतुल्य (GtCO₂e) का कार्बन सिंक बनाना, वनों और वृक्षों की संख्या बढ़ाकर।

GHG उत्सर्जन में कटौती की प्रगति

- यूरोपीय संघ की प्रगति:
 - ▲ 1990 से अब तक 37% उत्सर्जन में कटौती।
 - ▲ केवल 2023 में ही उत्सर्जन में 8.3% की गिरावट आई, जबकि अर्थव्यवस्था में वृद्धि जारी रही।
 - ▲ यूरोपीय संघ अब स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर, पवन, परमाणु और कार्बन कैप्चर तकनीक का मिश्रण उपयोग कर रहा है।
 - ▲ मजबूत नीतियाँ और उपकरण जैसे CBAM, ETS और क्षितिज यूरोप लागू हैं।
- भारत की प्रगति (BUR-4 रिपोर्ट):
 - ▲ 2020 में 2019 की तुलना में GHG उत्सर्जन में 7.93% की गिरावट।
 - ▲ 2005 से 2020 तक उत्सर्जन तीव्रता में 36% की कमी।
 - ▲ अक्टूबर 2024 तक, भारत की कुल स्थापित विद्युत क्षमता का 46.5% (~203 GW) गैर-जीवाश्म स्रोतों से।
 - ▲ इसमें सौर ऊर्जा की हिस्सेदारी लगभग 92 GW रही।
 - ▲ भारत ने जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में 10वाँ स्थान प्राप्त किया, GHG उत्सर्जन और

ऊर्जा उपयोग में उच्च स्कोर, लेकिन जलवायु नीति और नवीकरणीय ऊर्जा तैनाती में कमजोर प्रदर्शन।

GHG उत्सर्जन में कटौती की चुनौतियाँ

- यूरोपीय संघ की चुनौतियाँ:
 - ▲ औद्योगिक प्रतिरोध के कारण नियमों में ढील की मांग।
 - ▲ विदेशी कार्बन क्रेडिट पर निर्भरता, जिससे बोज़ गरीब देशों पर स्थानांतरित हो सकता है।
 - ▲ परिवहन क्षेत्र में धीमी प्रगति, विशेषकर सड़क परिवहन में उत्सर्जन उच्च बना हुआ है।
- भारत की चुनौतियाँ:
 - ▲ कोयले पर भारी निर्भरता: भारत के लगभग 75% उत्सर्जन कोयले से आते हैं।
 - ▲ तेजी से बढ़ता इस्पात उद्योग: जो अभी भी कोयले पर निर्भर है और प्रदूषण को बढ़ाता है।
 - ▲ जलवायु लक्ष्य पर्याप्त नहीं: विशेषज्ञों के अनुसार भारत के वर्तमान लक्ष्य वैश्विक तापमान को 1.5°C तक सीमित करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।
 - ▲ नीतिगत खामियाँ: भारत एक कार्बन बाजार स्थापित कर रहा है, लेकिन यह अभी वैकल्पिक है और पूरी तरह से कार्यान्वित नहीं हुआ है।

सुझाव

- यूरोपीय संघ के लिए:
 - ▲ केवल उच्च-गुणवत्ता वाले क्रेडिट की अनुमति देकर ऑफसेट नियमों को सख्त करें।
 - ▲ वाहन अनिवार्यता को आगे बढ़ाकर परिवहन क्षेत्र का डीकार्बोनाइजेशन तीव्र करें।
 - ▲ CBAM से प्राप्त राजस्व का उपयोग करके कमजोर क्षेत्रों और उद्योगों को समर्थन दें।
- भारत के लिए:
 - ▲ प्रमुख क्षेत्रों में गहरी उत्सर्जन कटौती के साथ अपने NDC लक्ष्यों को और अधिक महत्वाकांक्षी बनाएं।
 - ▲ हरित औद्योगिक बदलाव को बढ़ावा दें (जैसे हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस)।

- 2026 तक कार्बन ट्रेडिंग को अनिवार्य बनाएं और उस पर सख्त निगरानी रखें।
- ऊर्जा दक्षता को मजबूत मानकों और सौर ऊर्जा व इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देकर सुधारें।

निष्कर्ष

- यूरोपीय संघ का 2040 जलवायु लक्ष्य शुद्ध शून्य उत्सर्जन की दिशा में महत्वाकांक्षा और व्यावहारिकता के बीच एक महत्वपूर्ण मध्य बिंदु है।
- कार्बन ऑफसेट्स को शामिल करना रणनीतिक लचीलापन प्रदान करता है, लेकिन यह नैतिकता और शासन से जुड़े गंभीर प्रश्न भी उठाता है।
- भारत और वैश्विक दक्षिण के लिए यह संकेत है कि उन्हें वैश्विक मंचों पर न्यायसंगत और समान जलवायु कार्रवाई का समर्थन करना चाहिए, साथ ही हरित भविष्य के लिए घरेलू नीतियों को तैयार करना चाहिए।

Source: TH

भारत में हिरासत में मृत्यु (Custodial Deaths)

संदर्भ

- तमिलनाडु के शिवगंगा ज़िले में हाल ही में हुई एक हिरासत में मृत्यु ने एक बार फिर पुलिस हिरासत में व्यवहार और प्रक्रियाओं को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित किया है।

हिरासत में मृत्यु क्या है?

- हिरासत में मृत्यु (Custodial Death) उस स्थिति को दर्शाती है जब किसी व्यक्ति की पुलिस या न्यायिक हिरासत में रहते हुए मृत्यु हो जाती है।
- यह मृत्यु मुकदमे से पहले, पूछताछ के दौरान या सजा के बाद भी हो सकती है।
- इसका कारण यातना, लापरवाही, चिकित्सकीय सहायता न मिलना या संदिग्ध परिस्थितियाँ हो सकती हैं।
- यह निम्नलिखित संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है:

- अनुच्छेद 20(1):** किसी व्यक्ति को कानून में निर्धारित सजा से अधिक दंड नहीं दिया जा सकता।
- अनुच्छेद 20(3):** आत्म-आरोपण के विरुद्ध संरक्षण; दबाव में दिया गया कोई भी स्वीकारोक्ति अमान्य होती है।
- अनुच्छेद 21:** जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा सुनिश्चित करता है, जिसमें पुलिस/न्यायिक हिरासत भी शामिल है।

• भारत में हिरासत में मृत्यु की स्थिति

- संसदीय आंकड़ों के अनुसार, 2016-17 से 2021-22 के बीच भारत में कुल 11,656 हिरासत में मृत्यु दर्ज की गईं।
- उत्तर प्रदेश 2,630 मृत्यु के साथ शीर्ष पर रहा, जबकि तमिलनाडु (490) दक्षिणी राज्यों में अग्रणी रहा।
- हालांकि, सभी हिरासत में मृत्यु पुलिस की यातनाओं के कारण नहीं होतीं।

भारत में हिरासत में मृत्यु के प्रमुख कारण

• कानूनी शून्यता:

- भारत ने संयुक्त राष्ट्र यातना विरोधी सम्मेलन (UNCAT), 1997 पर हस्ताक्षर तो किए हैं, लेकिन उसे अनुमोदित नहीं किया है, जिससे वह इसके प्रावधानों को लागू करने के लिए बाध्य नहीं है।
- यातना निवारण विधेयक (2010) संसद में लंबित रह गया और बाद के प्रयास भी ठंडे बस्ते में चले गए या कमजोर कर दिए गए।

• प्रक्रियात्मक खामियाँ और देरी:

- सर्वोच्च न्यायालय ने के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (1997) मामले में हिरासत में अत्याचार रोकने के लिए महत्वपूर्ण दिशानिर्देश दिए थे।
- फिर भी, न्यायालय प्रायः मजिस्ट्रेटी जांच पर निर्भर रहती हैं, जिनमें प्रक्रियात्मक त्रुटियाँ और देरी आम हैं।

• संस्थागत प्रोत्साहन:

- हिंसा के माध्यम से प्राप्त स्वीकारोक्तियाँ अब भी साक्ष्य के रूप में मानी जाती हैं, जबकि भारतीय

साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत वे अमान्य हैं।

- **जवाबदेही की कमजोरी:**

- ▲ हिरासत में मृत्यु की जांच सामान्यतः उसी विभाग द्वारा की जाती है जो इसमें शामिल होता है।
- ▲ न्यायिक जांचें भी अक्सर धीमी, अपारदर्शी और निष्कर्षहीन होती हैं।

- **राजनीतिक हस्तक्षेप:**

- ▲ भारत में पुलिस व्यवस्था पर राजनीतिक दबाव का प्रभाव रहता है, जिससे निष्पक्ष कार्रवाई कमजोर होती है और दोषी अधिकारियों को संरक्षण मिलता है।

अंतरराष्ट्रीय कानूनी ढाँचे

- **संयुक्त राष्ट्र चार्टर (1945):** मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के उद्देश्य और सिद्धांत निर्धारित करता है।
- **सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा (1948):** यातना पर प्रतिबंध लगाती है और निर्दोषता की धारणा सुनिश्चित करती है।
- **नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय वाचा (1966):** जीवन के अधिकार की रक्षा करती है और यातना पर रोक लगाती है।
- **नेल्सन मंडेला नियम (2015):** सभी बंदियों के साथ मानवीय व्यवहार के लिए न्यूनतम मानक निर्धारित करते हैं।
- **यूरोपीय मानवाधिकार सम्मेलन (1950):** व्यक्तिगत गरिमा और न्याय तक पहुँच के अधिकार को मान्यता देता है।

सुधार के लिए सिफारिशें

- **कानून आयोग की रिपोर्टें:**
 - ▲ **69वीं रिपोर्ट (1977):** वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के समक्ष दी गई स्वीकारोक्तियों को साक्ष्य के रूप में मान्य करने हेतु भारतीय साक्ष्य अधिनियम में धारा 26A जोड़ने की सिफारिश की।
 - ▲ **273वीं रिपोर्ट:** भारत में मौजूदा कानूनी सुरक्षा उपायों को अपर्याप्त मानते हुए एक अलग यातना विरोधी कानून की सिफारिश की।

- **पुलिस सुधार:**

- ▲ उच्चतम न्यायालय के प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ (2006) के निर्देशों को लागू करें, जैसे:
 - पुलिस के जांच कार्य और कानून-व्यवस्था कार्य को अलग करना।
 - पुलिस शिकायत प्राधिकरणों की स्थापना।

- **प्रौद्योगिकी का अनिवार्य उपयोग:**

- ▲ पूछताछ कक्षों में CCTV, डिजिटल रिकॉर्डिंग और बॉडी कैमरों का उपयोग अनिवार्य किया जाए।

- **न्यायिक सुधार:**

- ▲ हिरासत अपराधों के लिए फास्ट-ट्रैक न्यायालयों की स्थापना और दोषी अधिकारियों के लिए कठोर सजा आवश्यक है।

निष्कर्ष

- हिरासत में मृत्यु केवल प्रशासनिक विफलता नहीं हैं, बल्कि भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में गहरे संकट का संकेत हैं।
- संविधानिक गारंटी, कानूनी सुरक्षा और न्यायिक निर्णयों के बावजूद, हिरासत में यातना और दुर्व्यवहार व्यापक रूप से जारी हैं।
- भारत को न केवल अपने संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करनी चाहिए, बल्कि अंतरराष्ट्रीय दायित्वों को भी निभाना चाहिए—एक व्यापक यातना विरोधी कानून बनाकर, संस्थानों को सशक्त बनाकर और जवाबदेही सुनिश्चित करके।

Source: TH

संक्षिप्त समाचार

जीनोम अनुक्रमण

संदर्भ

- शोधकर्ताओं ने एक ऐसे व्यक्ति का पहला पूर्ण प्राचीन मिस्रवासी जीनोम अनुक्रमित किया है, जो लगभग 4,500–4,800 वर्ष पूर्व जीवित था — यह अब तक का मिस्र से प्राप्त सबसे प्राचीन डीएनए नमूना है।

परिचय

- डीएनए को सफलतापूर्वक उस व्यक्ति के दांतों से निकाला गया।
- प्राचीन मिस्रवासी का यह जीनोम अब तक का सबसे पूर्ण और सबसे पुराना माना जा रहा है।


जीनोम

- किसी जीव का जीनोम उसकी विशिष्ट डीएनए या आरएनए अनुक्रम से बना होता है।
- मानव जीनोम (Human Genome) होमो सेपियन्स के लिए आनुवंशिक जानकारी का पूर्ण सेट होता है।
- इसमें लगभग 3 अरब बेस पेयर डीएनए होते हैं, जो 23 जोड़ी गुणसूत्रों (chromosomes) में व्यवस्थित होते हैं।
- प्रत्येक गुणसूत्र में विशिष्ट जीन होते हैं, जो डीएनए

अनुक्रम होते हैं और जीवन के लिए आवश्यक प्रोटीन और अन्य अणुओं को बनाने के निर्देश प्रदान करते हैं।

जीनोम अनुक्रमण (Genome Sequencing)

- प्रत्येक अनुक्रम रासायनिक निर्माण खंडों से बना होता है, जिन्हें न्यूक्लियोटाइड बेस (nucleotide bases) कहा जाता है।
- इन बेस की क्रमबद्धता को निर्धारित करने की प्रक्रिया को “जीनोमिक अनुक्रमण” या संक्षेप में “अनुक्रमण” कहा जाता है।
- जीनोम में एन्कोड की गई जानकारी शोधकर्ताओं को विशिष्ट आनुवंशिक “फिंगरप्रिंट” प्रदान करती है।
- अनुक्रम यह बताता है कि किसी विशेष डीएनए खंड में किस प्रकार की आनुवंशिक जानकारी निहित है।



Source: TH

डेन्गीऑल (DengiAll)

संदर्भ

- भारत ने स्वदेशी टेट्रावैलेंट डेंगू वैक्सीन ‘DengiAll’ के पहले चरण III नैदानिक परीक्षण में 50% नामांकन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है।

DengiAll के बारे में

- यह वैक्सीन पैनसिया बायोटेक लिमिटेड द्वारा विकसित की गई है, जो अमेरिका की प्रमुख संघीय एजेंसी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ (NIH) के साथ एक लाइसेंसिंग समझौते के अंतर्गत बनाई गई है।

- DengiAll में डेंगू वायरस के सभी चार उपप्रकारों (serotypes) के कमजोर रूप शामिल हैं और इसकी वायरस संरचना NIH द्वारा विकसित वैक्सीन के समान है, सिवाय निष्क्रिय अवयवों के।
- इस परीक्षण को भारत के औषधि महानियंत्रक (Drug Controller General of India) द्वारा अनुमोदन प्राप्त है।
- भारत में किए गए चरण I और II के नैदानिक परीक्षणों में सभी चार डेंगू वायरस प्रकारों के विरुद्ध संतुलित और मजबूत प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया देखी गई।
- इस परीक्षण का समन्वय ICMR-राष्ट्रीय ट्रांसलेशनल वायरोलॉजी संस्थान (NITVAR) और एड्स अनुसंधान संस्थान (पूर्व में ICMR-NARI) द्वारा किया जा रहा है।

डेंगू

- डेंगू एक मच्छर जनित विषाणुजनित रोग है, जो डेंगू वायरस (DENV) के कारण होता है। इसके चार प्रकार होते हैं: DENV-1, DENV-2, DENV-3, और DENV-4।
- यह मुख्य रूप से एडीज एजिप्टी (Aedes aegypti) मच्छर के माध्यम से फैलता है।
- **प्रसार:**
 - ▲ यह वायरस सीधे व्यक्ति से व्यक्ति में नहीं फैलता।
 - ▲ मच्छर तब संक्रमित होता है जब वह पहले से संक्रमित व्यक्ति को काटता है, और फिर किसी अन्य व्यक्ति को काटकर वायरस को फैला सकता है।
- **वैक्सीन:**
 - ▲ डेंगूवैक्सिया (CYD-TDV) – कुछ देशों में स्वीकृत है, और 9–16 वर्ष की आयु के उन व्यक्तियों के लिए अनुशंसित है जिन्हें पहले डेंगू संक्रमण हो चुका हो।
- **वैश्विक स्वास्थ्य खतरा:**
 - ▲ विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, डेंगू बुखार वैश्विक स्वास्थ्य के शीर्ष 10 खतरों में से एक है।

- **भारत में डेंगू**
- भारत वैश्विक डेंगू मामलों का एक बड़ा हिस्सा रखता है।
- वर्ष 2024 में भारत में 2.3 लाख डेंगू मामले और 297 मृत्यु दर्ज की गईं।

Source: IE

सी-फ्लड (C-FLOOD)

समाचार में

- जल शक्ति मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में C-FLOOD का उद्घाटन किया।

C-FLOOD

- यह एक एकीकृत जलभराव पूर्वानुमान प्रणाली है, जिसे पुणे स्थित उन्नत संगणन विकास केंद्र (C-DAC) और जल शक्ति मंत्रालय के अधीन केंद्रीय जल आयोग द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है।
- यह एक वेब-आधारित प्लेटफॉर्म है जो गांव स्तर पर दो दिन पहले बाढ़ की भविष्यवाणी करता है, जिसमें जलभराव मानचित्र और जल स्तर की भविष्यवाणियाँ शामिल होती हैं।
- यह राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन का भाग है और भारत की बाढ़ प्रबंधन एवं आपदा प्रतिक्रिया क्षमताओं को सशक्त बनाने का लक्ष्य रखता है।

विशेषताएँ

- यह राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय एजेंसियों से बाढ़ मॉडलिंग को एकीकृत करता है और आपदा प्रबंधन के लिए एक एकीकृत निर्णय-समर्थन उपकरण के रूप में कार्य करता है।
 - ▲ वर्तमान में यह प्रणाली महानदी, गोदावरी और तापी नदी घाटियों को कवर करती है, और भविष्य में अन्य घाटियों को भी शामिल करने की योजना है।
- यह बाढ़ का अनुकरण करने के लिए उन्नत 2-डी हाइड्रोडायनामिक मॉडलिंग का उपयोग करती है।
 - ▲ महानदी बेसिन के लिए सिमुलेशन पुणे स्थित C-DAC में राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत हाई परफॉर्मंस कंप्यूटिंग पर चलते हैं, जबकि

गोदावरी और तापी बेसिन के लिए बाढ़ डेटा, जो राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग केंद्र द्वारा विकसित किया गया है, इस प्रणाली में एकीकृत किया गया है।

Source :TH

वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक (FRI)

समाचार में

- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने सभी बैंकों को वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक (Financial Fraud Risk Indicator - FRI) टूल को एकीकृत करने का परामर्श दिया है।

वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक (FRI)

- इसे मई 2025 में दूरसंचार विभाग (DoT) की इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा लॉन्च किया गया था।
- यह एक जोखिम-आधारित मीट्रिक है जो किसी मोबाइल नंबर को वित्तीय धोखाधड़ी के जोखिम के आधार पर मध्यम (Medium), उच्च (High), या अत्यधिक उच्च (Very High) श्रेणी में वर्गीकृत करता है।
- यह वर्गीकरण विभिन्न हितधारकों से प्राप्त इनपुट पर आधारित होता है, जिनमें सम्मिलित हैं:
 - भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) के राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) पर रिपोर्टिंग
 - DoT का चक्षु प्लेटफॉर्म
 - बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा साझा की गई खुफिया जानकारी
- यह टूल बैंकों, एनबीएफसी और यूपीआई प्रदाताओं को उच्च जोखिम वाले नंबरों के विरुद्ध प्राथमिकता से कार्रवाई करने में सहायता करता है, जैसे कि संदिग्ध लेनदेन को अस्वीकार करना और अलर्ट जारी करना।
- PhonePe और ICICI बैंक जैसे प्रमुख संस्थान पहले से ही FRI का उपयोग कर रहे हैं, जिससे भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र में धोखाधड़ी की रोकथाम को मजबूती मिल रही है।

महत्व

- यह तकनीक-आधारित पहल सरकार के डिजिटल इंडिया विज़न का समर्थन करती है, क्योंकि यह डिजिटल विश्वास को मजबूत करती है, वास्तविक समय में धोखाधड़ी का पता लगाने में सक्षम बनाती है, और दूरसंचार तथा वित्तीय क्षेत्रों के बीच सहयोग को बढ़ावा देती है।
- यह कदम साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के विरुद्ध लड़ाई को अंतर-एजेंसी सहयोग के माध्यम से सशक्त बनाता है और बैंकों तथा DoT के बीच API-आधारित रीयल-टाइम डेटा एक्सचेंज की महत्ता को उजागर करता है, जिससे धोखाधड़ी जोखिम का पता लगाने की क्षमता बेहतर होती है।

Source :PIB

स्त्री 2025 (SPREE 2025)

समाचार में

- कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) ने शिमला में आयोजित अपनी 196वीं बैठक के दौरान SPREE 2025 योजना (नियोक्ताओं और कर्मचारियों के पंजीकरण को बढ़ावा देने की योजना) को मंजूरी दी।

नियोक्ताओं और कर्मचारियों के पंजीकरण को बढ़ावा देने की योजना (SPREE) 2025

- यह योजना ESIC द्वारा अनुमोदित की गई है और इसका उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार करना है।
- इसके अंतर्गत बिना पंजीकृत नियोक्ता और कर्मचारी—जिनमें संविदा और अस्थायी श्रमिक भी शामिल हैं—1 जुलाई से 31 दिसंबर 2025 तक डिजिटल रूप से पंजीकरण कर सकते हैं, बिना किसी निरीक्षण या पूर्व बकाया की मांग के।
- पंजीकरण घोषित तिथि से प्रभावी होगा, और कोई भी अंशदान या लाभ पूर्व प्रभाव से लागू नहीं होगा।
- यह योजना स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करती है, क्योंकि इसमें दंड हटाए गए हैं और प्रक्रिया को सरल बनाया गया है।

महत्व

- यह योजना अधिक प्रतिष्ठानों और श्रमिकों को ईएसआई अधिनियम के दायरे में लाने का प्रयास करती है, जिससे उन्हें आवश्यक स्वास्थ्य और सामाजिक लाभों तक बेहतर पहुंच मिल सके।
- यह भारत में एक अधिक समावेशी और सुलभ सामाजिक सुरक्षा प्रणाली की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो ESIC के सार्वभौमिक संरक्षण और कल्याण-केंद्रित श्रम पारिस्थितिकी तंत्र के लक्ष्य का समर्थन करता है।

Source :PIB

NIPCCD का नाम परिवर्तित कर सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान

समाचार में

- राष्ट्रीय सार्वजनिक सहयोग और बाल विकास संस्थान (NIPCCD) का नाम परिवर्तित कर सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला और बाल विकास संस्थान कर दिया गया है।

राष्ट्रीय सार्वजनिक सहयोग और बाल विकास संस्थान (NIPCCD)

- इसकी स्थापना 1966 में योजना आयोग के अंतर्गत की गई थी और 1975 में इसका नाम परिवर्तित किया गया जब यह एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS) कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण के लिए शीर्ष निकाय बन गया।
- वर्तमान में यह महिला और बाल विकास मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्थान है।
- इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है और यह भारत भर में पाँच क्षेत्रीय केंद्रों के माध्यम से क्षेत्रीय आवश्यकताओं को पूरा करता है।

कार्य

- यह महिला और बाल विकास के क्षेत्र में प्रशिक्षण, अनुसंधान, प्रलेखन और क्षमता निर्माण के लिए शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करता है।
- यह विभिन्न प्रमुख योजनाओं के कार्यान्वयन तंत्र को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो अपने ऑनलाइन और भौतिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से संचालित होते हैं।

Source :PIB